रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 1997/वैशाख 24, 1919
No. 187] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 1997/VAISAKHA 24, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1997

सं. 45/97-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 260(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 98.01 की उपमद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास का ध्यान रखते हुए, आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की तिरूपति एवं हैदराबाद नगरों के लिए शहरी वितरण विकास परियोजनाओं को उक्त शीर्ष के अधीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए परियोजनाएं अधिसूचित करती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 20 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"21. आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की तिरूपति एवं हैदराबाद नगरों के लिए शहरी वितरण विकास परियोजनायें"।

[फा.सं. 356/22/97-टी.आर.यू.]

नथनीत गोयल, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण की अधिसूचना सं. 42/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 (सा.का.नि. 294 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अधिसूचना सं. 14/97-सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 1997 (सा.का.नि. 101 (अ), तारीख 1 मार्च, 1997) द्वारा संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1997

No. 45/97-CUSTOMS

G.S.R. 260(E).—In exercise of the powers conferred by sub-items (6) of heading No 98.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby notifies Urban Distribution Development Projects of Andhra Pradesh State Electricity Board in Hyderabad and Tirupati towns as projects for the purpose of assessment under the said heading and for the said purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 42/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, namely :—

In the said notification, after serial number 20 and the entry relating thereto, the following shall be added, namely :—

"21. Urban Distribution Development Projects of Andhra Pradesh State Electricity Board in Hyderabad and Tirupati towns".

[F. No. 356/22/97-TRU]

NAVNEET GOEL, Under Secy.

NOTE : The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. 42/96-Customs, dated 23rd July, 1996 [G.S.R. 294 (E), dated the 23rd July, 1996] and subsequently amended by notification No. 14/97-Customs, dated the 1st March, 1997 [G.S.R. 101(E), dated the 1st March, 1997].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1997

सं. 46/97-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 261(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) की धारा 68 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-12/97-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के प्रारंभिक पैरा में, मद संख्या ख और ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ख) उक्त सारणी के क्रम संख्या 2 से 13 तक के सामने विनिर्दिष्ट माल की दशा में, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क, संपूर्ण विशेष शुल्क से,"

[फा.सं. डी 8/1/97-टी.आर.यू.]

राजीव तलवार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1997

No. 46/97-CUSTOMS

G.S.R. 261(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 68 of the Finance (No. 2) Act, 1996 (33 of 1996), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs, dated the 1st March, 1997, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, for items (b) and (c), the following shall be substituted, namely:-

"(b) in the case of goods specified against S.Nos. 2 to 13 of the said Table, from the whole of the special duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 68 of the said Finance Act."

[F.No. B. 8/1/97-TRU]
RAJIV TALWAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1997

सं. 47/97-सीमाशुल्क

सा. का . नि. 262(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-20/97-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1997 को विखंडित करती हैं।

[फा.सं. बी 8/1/97-टी.आर.यू.]
राजीव तलवार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1997

No. 47/97-CUSTOMS

G.S.R. 262(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 20/97-Customs, dated the 1st March, 1997.

[F.No. B. 8/1/97-TRU]
RAJIV TALWAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1997

सं. 31/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का . नि. 263(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1994 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1997 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी में ;

(क) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा; और

(ख) क्रम सं. 93 के स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर "5204.90, 54.01 या 55.08" प्रविष्टि रखी जायेगी।

[फा.सं. बी 8/1/97-टी.आर.यू.]
राजीव तलवार, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना सं. 4/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1977 (सा.का.नि. 110 (अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया:

	अधिसूचना सं. और तारीख	सा.का.नि.सं. और तारीख
1.	14/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 21 मार्च, 1997	सा.का.नि. 166 (अ), तारीख 21 मार्च, 1997
2.	15/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1997	सा.का.नि. 172 (अ), तारीख 25 मार्च, 1997
3.	17/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9 अप्रैल, 1997	सा.का.नि. 204 (अ), तारीख 9 अप्रैल, 1997
4.	18/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 10 अप्रैल, 1997	सा.का.नि. 211 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 1997
5.	19/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 अप्रैल, 1997	सा.का.नि. 218 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 1997
6.	24/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3 मई, 1997	सा.का.नि. 241 (अ), तारीख 3 मई, 1997
7.	25/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 7 मई, 1997	सा.का.नि. 244 (अ), तारीख 7 मई, 1997
8.	30/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9 मई, 1997	सा.का.नि. 252 (अ), तारीख 9 मई, 1997

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1997

No. 31/97-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 263(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public intrest so to do, hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/97- Central Excise, dated the 1st March, 1997, namely:—

In the Table below the said notification,-

(a) S.No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted; and

(b) against S.No. 93A, for the entry in column (2), the entry "5204.90, 54.01 or 55.08" shall be substituted.

[F.No. B. 8/1/97-TRU]

RAJIV TALWAR, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazetted of India, Extraordinary vide notification No. 4/97-Central Excise, dated the 1st March, 1997 [G.S.R. 110(E), dated the 1st March, 1997] and subsequently amended by the following notification No. :

	Notification No. and Date	G.S.R. No. and Date
(1)	14/97-Central Excise, dated the 21st March, 1997	G.S.R. 166(E), dated the 21st March, 1997.
(2)	15/97-Central Excise, dated the 25th March, 1997	G.S.R. 172(E), dated the 25th March, 1997.
(3)	17/97-Central Excise, dated the 9th April, 1997	G.S.R. 204(E), dated the 9th April, 1997.
(4)	18/97-Central Excise, dated the 10th April, 1997	G.S.R. 211(E), dated the 10th April, 1997.
(5)	19/97-Central Excise, dated the 11th April, 1997	G.S.R. 218(E), dated the 11th April, 1997.
(6)	24/97-Central Excise, dated the 3rd May, 1997	G.S.R. 241(E), dated the 3rd May, 1997.
(7)	25/97-Central Excise, dated the 7th May, 1997	G.S.R. 244(E), dated the 7th May, 1997.
(8)	30/97-Central Excise, dated the 9th May, 1997	G.S.R. 252(E), dated the 9th May, 1997.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1997

सं. 32/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 264(अ).—केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1)की धारा 5क की उपधारा (1) या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं को अभिखंडित करती है।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख
1	2
1.	सं. 5/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1997
2.	सं. 12/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1997

[फा.सं. बी 8/1/97-टी.आर.यू.]

राजीव तलवार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1997

No. 32/97-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 264(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), or sub-section (1) section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 ot the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as the case may be, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed.

TABLE

S.No.	Notification No. and Date
1	2
1.	No. 5/97-Central Excise, dated the 1st March, 1997.
2.	No. 12/97-Central Excise, dated the 1st March, 1997.

[F.No. B. 8/1/97-TRU

RAJIV TALWAR, Under Secy

12/3 Gi/97-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997